Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 1641 / 01 अधिप्राप्ति / 2017 दिनांक–26 / 12 / 2017

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय / वर्ल्ड बैंक / रा0मा0 / पी0एम0यू0, ए0डी0बी0 /
लो0नि0वि0,देहरादून / पौड़ी /
टिहरी / हल्द्वानी / अल्मोड़ा / पिथौरागढ़।

विषयः– राजकीय विभागों में निजी (नॉन–ट्रांसपोर्ट) वाहनों को किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, परिवहन अनुभाग–।, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–26 / ix-1 / 2015 दिनांक–07.01.2015 द्वारा राजकीय विभागों में निजी (नॉन–ट्रांसपोर्ट) वाहनों का व्यवसायिक रूप में संचालन किये जाने के सम्बन्ध में बिन्दुवार तथ्य उजागर करते हुए कार्यालय कार्य हेतु केवल ट्रांसपोर्ट वाहनों (टैक्सी / मैक्सी आदि) को ही किराये पर लिये जाने और किराये पर लेने से पूर्व सम्बन्धित वाहन के पंजीयन / परमिट / फिटनेस / चालक लाईसेन्स की वैधता एवं कर भुगतान की स्थिति जॉचने का भी उल्लेख किया गया है।

अतः उक्त वर्णित शासनादेश की छायाप्रति आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि शासकीय पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–यथोपरि।

(आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय)

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं सेतु (ग0क्षे0), लो0नि0वि0, देहरादून को उनके पत्र संख्या–3989 / 80रा0मा0–(उ0) / 2017 दिनांक–23.11.2017 के कम में इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार अपने स्तर से कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–यथोपरि।

प्रतिलिपिः– समस्त अधीक्षण अभियन्ता,..........................वॉ वृत्त, लो0नि0वि0,.................... को शासनादेश की प्रति इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि शासकीय पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–यथोपरि।

मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय)

संख्या– 26 /ix-1/ /2015

प्रेषक,

एस0रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव,
राज्य सम्पत्ति, उत्तराखण्ड शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

मण्डलायुक्त,
गढवाल / कुमायूँ मण्डल।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तराखण्ड।

समस्त संभागीय / सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 07 जनवरी, 2015

विषय– राजकीय विभागों में निजी (नॉन–ट्रांस्पोर्ट) वाहनों को किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

यह संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा राजकीय उपयोग हेतु निजी (नॉन–ट्रांस्पोर्ट) वाहनों को किराये पर लेकर प्रयोग किया जा रहा है और उन्हें टैक्सी वाहनों की भाँति भुगतान किया जा रहा है। निजी (नॉन–ट्रांस्पोर्ट) वाहनों का व्यवसायिक रूप में संचालन के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य आपके संज्ञान में लाने है:–

1– नियमानुसार निजी (नॉन–ट्रांस्पोर्ट) वाहनों का व्यवसायिक रूप में संचालन नहीं किया जा सकता।

2– इससे जहाँ एक ओर राज्य सरकार के राजस्व में मोटरयान कर, परमिट एंव फिटनेस फीस की भी अपवंचना होती है वहीं केन्द्र सरकार के सर्विस टैक्स / आयकर की अपवंचना होती है।

3– निजी वाहन के व्यवसायिक प्रयोग की स्थिति में किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर राज्य सरकार द्वारा दुर्घटना राहत निधि से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता भी प्रभावित व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी।

4– बीमा कम्पनी द्वारा भी ऐसी वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

5– दोषी वाहन स्वामियों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जा सकती है, जिसके अन्तर्गत (वाहन का चालान/बन्द करने की कार्यवाही, वाहन का पंजीयन चिन्ह निलम्बन के साथ–साथ दण्ड भी आरोपित किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन विभागों में यदि किसी निजी (नॉन–ट्रांस्पोर्ट) वाहन को किराये पर लेकर कार्य किया जा रहा है, तो कृपया तत्काल उसका प्रयोग बन्द कराने का कष्ट करें और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी निजी वाहनों को किराये पर न लेने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय कार्य हेतु केवल ट्रांस्पोर्ट वाहनों (टैक्सी/मैक्सी आदि) को ही किराये पर लिया जाए और किराये पर लेने से पूर्व सम्बन्धित वाहन के पंजीयन/परमिट/फिटनेस/चालक लाईसेन्स की वैधता एवं कर भुगतान की स्थिति जॉच ली जाये।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

CTO